सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
श्रावण 23, सोमवार, *शाके* 1945-अगस्त 14, 2023 *Sravana 23, Monday , Saka 1945- August 14, 2023*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 07, 2023

संख्या प.7/सम्पर्क/2023/2860 :-बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के पैरा संख्या 130 में की गई घोषणा में अधिकाधिक पत्रकारों को उनके लिए संचालित सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, इस दृष्टि से पत्रकारों को अधिस्वीकृत करने के नियमों का सरलीकरण कर और व्यापक कवरेज किये जाने तथा जनघोषणा पत्र के बिन्दु संख्या 26.1 के अनुसार पत्रकारों के अधिस्वीकरण की समीक्षा की जाकर डिजीटल पत्रकारों को इसमें सम्मिलित करते हुये अधिस्वीकरण करने के क्रम में नियमों का सरलीकरण किया जाता है।

बजट घोषणा और जन घोषणा पत्र की क्रियान्विति हेतु वर्तमान में प्रचलित राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि अधिस्वीकरण नियम-1995 के नियम 2(3), 2(9), 13 में संशोधन एवं 2(10) की दो अधिसूचनाएं प्रत्याहरित की जाती हैं और नियम 8(4) (i) नया जोड़ा जाता है।

संशोधित प्रावधान निम्नानुसार हैः-

1. नियमः- 2(3) 'प्रेस प्रतिनिधि' से तात्पर्य है- किसी समाचार पत्र, समाचार एजेन्सी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजीटल मीडिया (इन तीनों श्रेणियों के वेब पोर्टल/डीएवीपी से मान्यता प्राप्त अथवा न्यूज वेबसाईट विज्ञापन पॉलिसी गाइडलाइन GOR के अनुसार स्वीकृत-न्यूज कंटेट वेबसाईट) में संपादक, संवाददाता और सम्पादकीय डेस्क पर कार्यरत सभी पत्रकार, प्रेस फोटोग्राफर, कैमरापर्सन, व्यंग्य चित्रकार, स्वतंत्र रूप से काम करने वाले पत्रकार।

2. नियमः- 2(9) इलेक्ट्रोनिक मीडिया से तात्पर्य ऐसी संस्था/संस्थान से है, जिसके द्वारा ऑडियो/वीडियो विजुअल माध्यम से समाचार प्रसारित होते हैं। इसमें डिजीटल मीडिया भी सम्मिलित किया जाता है।

3. नियमः- 2(10) के अंतर्गत आदेश संख्या प-9/98, दिनांक 31.05.2000 एवं आदेश संख्या एफ. 5(1)/गृह/सम्पर्क/सचि./प्रको./2002 दिनांक 09.05.2008 से संबंधित दोनों अधिसूचनाऐं प्रत्याहारित की जाती है।

4. नियमः- 8(4) (i)

- अधिस्वीकरण कार्ड का नवीनीकरण 2 वर्ष की अवधि के लिए किया जायेगा, परन्तु स्वतंत्र पत्रकार को अधिस्वीकरण कार्ड के नवीनीकरण हेतु अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह 3

क्लीपिंग्स एवं 1 वर्ष की न्यूनतम 25 क्लीपिंग्स अनिवार्य रूप से विभाग में प्रस्तुत करनी होगी।

- जो अधिस्वीकृत पत्रकार संस्थान परिवर्तन करने अथवा स्वतंत्र पत्रकार के रूप में श्रेणी परिवर्तन करना चाहते हैं उनको पूर्व संस्थान से सेवानिवृत्ति/संस्थान छोड़ने/अन्य कारण से परिवर्तन की तिथि से आगामी 60 दिवस की अवधि में परिशिष्ट- 'ड़' में आवेदन करना होगा। इस अवधि के उपरान्त यदि वे आवेदन करते हैं तो उन्हें नये सिरे से जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी के माध्यम से अधिस्वीकरण आवेदन करना होगा।

- जो वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार पचहत्तर वर्ष की अधिकतम आयु प्राप्त कर चुके हैं उन्हें आजीवन स्थायी अधिस्वीकरण कार्ड जारी किया जायेगा।

5. नियमः- 13 अधिस्वीकृत पत्रकारों की संख्या का निर्धारण समाचार पत्र/न्यूज एजेन्सी/इलेक्ट्रोनिक मीडिया/डिजीटल मीडिया संस्था/संस्थान की प्रसार संख्या/ सब्सक्राइबर/चैनल की श्रेणी के अनुसार किया जायेगा। इसके लिए राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि अधिस्वीकरण नियम-1995 का परिशिष्ट '**क**' निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता हैः-

परिशिष्ट **"क"**

संस्थान श्रेणी

1. **प्रिंट + डिजीटल मीडिया**

दैनिक समाचार पत्रों की प्रसार संख्या के अनुसार उनके सामने अंकित संख्या के आधार पर अधिस्वीकरण किया जाएगा :-

प्रसार संख्या	अधिस्वीकृत पत्रकारों की संख्या	कुल अधि. पत्रकारों की संख्या
30 हजार तक	05 (अधिकतम)	05
30 हजार से 5 लाख	30 हजार के पश्चात् प्रति 10 हजार पर 1	52
5 लाख से 10 लाख	5 लाख के पश्चात् प्रति 10 हजार पर 2	152
10 लाख से अधिक	10 लाख के पश्चात् प्रति 10 हजार पर 5	402

डीआईपीआर में सूचीबद्ध उपरोक्त सभी समाचार पत्रों के प्रिंट के साथ डिजीटल मीडिया के भी पत्रकार उक्तानुसार अधिस्वीकरण में सम्मिलित होंगे। संवाददाता एवं संपादकीय डेस्क पर कार्य करने वाले पत्रकारों के अधिस्वीकरण का अनुपात क्रमशः 40 : 60 प्रतिशत होगा। उदाहरणस्वरूप किसी संस्थान में यदि इन दोनों श्रेणियों में 100 पत्रकार कार्यरत हैं तो उसमें से संवाददाताओं के लिए 40 प्रतिशत और संपादकीय डेस्क पर कार्यरत के लिए 60 प्रतिशत अधिस्वीकरण किया जायेगा।

2. **इलेक्ट्रोनिक + डिजीटल मीडिया**

क्र.सं.	चैनल		अधिस्वीकरण संख्या
1.	सेटेलाईट चैनल (न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल)	राष्ट्रीय कवरेज	07
		क्षेत्रीय कवरेज	21

3. **डिजीटल मीडिया**

डिजीटल न्यूज पब्लिशर/न्यूज वेबसाईट्स (डीएवीपी से मान्यता प्राप्त अथवा न्यूज वेबसाईट विज्ञापन पॉलिसी गाइडलाइन GOR के अनुसार स्वीकृत)

न्यूज वेबसाईट श्रेणी	यूनिक विज़िटर	अधिस्वीकरण संख्या
A.	गत 6 माह से निरन्तर प्रतिमाह 50 लाख से अधिक	03
B.	गत 6 माह से निरन्तर प्रतिमाह 20 लाख से 50 लाख	02
C.	गत 6 माह से निरन्तर प्रतिमाह 2.50 लाख से 20 लाख	01

4. **न्यूज एजेन्सी**

एजेन्सी	सब्सक्राइबर	अधिस्वीकरण संख्या
प्रिंट/इलेक्ट्रोनिक	100 से 500	01
	500 से अधिक	03

नोटः- प्रिन्ट, इलैक्ट्रोनिक एवं डिजीटल मीडिया/एजेन्सी एवं स्वतंत्र पत्रकार के अधिस्वीकरण आवेदन हेतु परिशिष्ट-ख-I, ख-II, पुलिस सत्यापन हेतु परिशिष्ट-ग-I, जिला सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र हेतु ग-II, प्रिन्ट मीडिया तथा स्वतंत्र पत्रकार के नवीनीकरण हेतु परिशिष्ट-घ-I, घ-II, एवं श्रेणी परिवर्तन हेतु परिशिष्ट - ड़ प्रपत्रों को नियमों में संशोधन के अनुरूप प्रतिस्थापित किया जाता है।

पुरूषोत्तम शर्मा,
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।